बिहार विधान सभा वादवृत्त

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में बुधवार, तिथि १७ मार्च, १९५४ को ११ बजे पूर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ।

अल्प-सूचना प्रश्नोत्तर

SHORT NOTICE QUESTIONS AND ANSWERS

प्राइमरी शिक्षकों की बहाली।

१७३। श्री भागवत प्रसाद—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि वर्त्तमान अधिवेशन के अल्प-सूचना प्रश्न संख्या ८३ के उत्तर में बताया गया है कि प्राइमरी शिक्षकों की बहाली में हरिजन उम्मीदवार यदि मिड्ल पास रहें और ट्रेंड न भी रहें तो उनकी बहाली पर विचार किया जायगा;

(ख) क्या यह बात सही है कि ३ फरवरी, १९५४ ई० को एक आदेश सभी जिला के डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर औफ स्कूल्स को दिया गया है कि इन पदों पर बहाली के लिये किसी भी अनट्रेंड उम्मीदवार का आवेदन नहीं लिया जाय;

(ग) क्या यह बात सही है कि उक्त आदेश के परिणाम स्वरूप मुंगेर जिला के डि० आई० स्कूल्स के औफिस में सभी अनट्रेंड उम्मीदवारों का आवेदन, जिनमें हरिजन उम्मीदवार भी शामिल हैं, रद्दी की टोकरियों में फेंका जा रहा है;

(घ) सरकार अपने ३ फरवरी, १९५४ के आदेश में हरिजनों के लिये उचित संशोधन अविलम्ब करना चाहती है जिससे हरिजन उम्मीदवारों के साथ जो मुंगेर में हो रहा है वह बन्द हो जाय, यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बदरीनाथ वर्मा—(क) और (ख) ट्रेंड शिक्षक ही नियुक्त हों ऐसा सामान्य नियम है पर इसमें अपवाद का समावेश है। इस विषय को और भी स्पष्ट करने के लिए सरकार ने एक विशेष सरकुलर ११ मार्च को जारी किया है। सरकुलर की कापी पुस्तकालय के मेज पर रखी गई है।

(ग) सरकार को इसकी कोई सूचना नहीं है। मुमकिन है कि भ्रमवश कहीं ऐसा किया गया हो।

(घ) ११ मार्च के सरकुलर के बाद और कुछ कारंवाई की आवश्यकता नहीं रह गई है।

श्री जगन्नाथ सिंह—मैं जानना चाहता हूं कि ११ मार्च के सरकुलर में अनट्रेंड मिड्ल पास या मैट्रिक पास लोगों की गुंजाइश है या नहीं।

कटौती का प्रस्ताव :

CUT MOTION :

पटना विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार रोकने में राज्य सरकार की असफलता।

FAILURE OF STATE GOVERNMENT TO CHECK CORRUPTION IN THE UNIVERSITY.

Shri BHUBNESHWAR PANDEY : Sir I beg to move :

That the item of Rs. 35,53,010 for "Grants to University—Contribution to Patna University Fund—Recurring" be reduced by Re. 1.

(To discuss the failure of Government to check corruption inside the University as a student of 3rd division was admitted in Science College while a student of 2nd division was not admitted.)

श्री दारोगा प्रसाद राय—अध्यक्ष महोदय, एक ऐसा कट मोशन लिया जाता जिसमें इस डिपार्टमेंट के सभी मामलों पर प्रकाश डाला जाता तो अच्छा होता।

अध्यक्ष—श्री भुनेश्वर पांडे का ही पहला कट मोशन था और उन्होंने उसको पेश किया है।

श्री भुनेश्वर पांडे—इस कट मोशन पर बहुत थोड़ा कहना है और जल्द ही यह खत्म हो जायेगा और तब दूसरा आपके मन के मुताबिक कट मोशन लिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, बात यह है कि एक लड़का जिसका नाम उदय कुमार सिंह है और जो मैथेमैटिक्स में अच्छा मार्क लाये थे। और सब मिला कर भी अच्छा मार्क याने ३७० लाया था उसने साइन्स कालेज में भर्ती होंने के लिये कोशिश की लेकिन उसको न लेकर एक लड़का जिसका नाम कन्हैया सिंह है और जिसको मैथेमैटिक्स में बहुत कम नम्बर आया था और जिसका कुल मार्क ३५० था उसको भर्ती कर लिया गया है। इस मामले को डा० अनुग्रह मारायण के यहां भेजा गया था लेकिन इस कट मोशन को पेश करने के वक्त तक भी कोई जवाब नहीं आया था। अगर इस तरह का पक्षपात युनिवर्सिटी के अंदर होगा तो वह कैसे वरदाश्त करने की चीज होगी। मैं चाहता हूं कि शिक्षा विभाग इस तरह की धांधली को रोके।

अध्यक्ष—शांति, शांति। अब स्थगन प्रस्ताव पर बहस होगी।

स्थगन प्रस्ताव :

ADJOURNMENT MOTION :

श्री रामानन्द तिवारी, एम० एल० ए० को बचाने में राज्य सरकार की असफलता।

FAILURE OF THE STATE GOVERNMENT TO PROTECT SHRI RAMANAND TEWARI, M. L. A.

SPEAKER. No speech on the adjournment motion shall ordinarily exceed 15 minutes. The debate will automatically end at the end of two hours.

*Shri SIDUI HEMBROM : Sir, I move :

That this Assembly do stand adjourned to discuss a definite matter of public importance, namely :—

Deliberate connivance of the administration, inspite of ample information given to the local authorities and the District Magistrate Shahabad, of apprehended criminal action to protect Shri Ramanand Tiwari, M. L. A., Bihar, from assault, manhandling, attempt to murder, theft of personal property and violation of fundamental rights to organise and address public meeting at village Gangauli, P.-S. Dumraon, in the district of Shahabad on 13th March, 1954, at about 3 P.M.

अध्यक्ष महोदय, इस स्थगन प्रस्ताव को सदन में पेश करते हुए मैं आपके सामने उस मिटिंग के संबंध में और उसके पहले क्या-क्या घटनाएं घटी हैं संक्षेप में रख देना चाहता हूं। यह मिटिंग इस महीने के १३ तारीख को होने वाली थी। ३ बजे दिन को यह शुरू होनेवाली थी। इस मिटिंग को सफल बनाने के लिए समाजवादी दल की ओर से गंगौली में कार्य शुरू हुआ। सोशलिस्ट पार्टी के लोगों ने पैम्फलेट बांटना शुरू किया ताकि ज्यादे से ज्यादे लोग मिटिंग में सम्मिलित होकर उसे सफलीभूत बनाने में मदद करें। सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ता को यह मालूम हुआ कि उस मिटिंग को असफल बनाने के लिए पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। डुमरांव के कार्यकर्त्ता ने इस आसय की खबर वक्सर के पुलिस इंसपेक्टर को दी।

श्री रामसुन्दर तिवारी—अभी विरोधीदल के नेता जिस बात को बोल रहे हैं क्या उनको यह मालूम है कि यह मामला कोर्ट में चल रहा है ?

अध्यक्ष—सरकार की तरफ से ऐसी कोई आपत्ति नहीं की गयी थी।

श्री सिदुई हेम्ब्रम—अध्यक्ष महोदय, यह मैं कह रहा था कि १२ तारीख को सोशलिस्ट पार्टी की ओर से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को तार के द्वारा बताया गया था कि १३ तारीख को जो मिटिंग होने वाली है उसमें कुछ धांधली होगी और कुछ मारपीट भी होगी तथा यह कहा था कि श्री रामानन्द तिवारी उस मिटिंग में प्रमुख वक्ता होंगे और उनको मार खाने का भी आशंका है। उसके बाद १३ तारीख को करीब २½-/३ वजे श्री रामानन्द तिवारी वहां पहुंचे। जैसे ही वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमा हुए हैं और झंडा लेकर स्लोगन मचा रहे हैं। जब श्री रामानन्द तिवारी का जीप वहां पहुंचा तो कुछ लोगों ने उनके तरफ ढेला बींगा और जीप को धूलि की धुंआ से घेर दिया। कुछ ढेला चला। यह वाकया पुलिस के पहुंचने के पहले हुई थी। इसके बाद करीब तीन वजे पुलिस पहुंची। एक मजिस्ट्रेट, दो सबइंसपेक्टर और आठ दस सिपाही भी पहुंचे। जब वे पहुंचे तो हल्ला चल रहा था श्री रामानन्द तिवारी ने मजिस्ट्रेट को जो कुछ वाकया हुई उसको कहा। इसके बाद श्री रामानन्द तिवारी ने मीटिंग करने की कोशिश की। जब वे मिटिंग में बोलने के लिए खड़ा हुए तो फिर हंगामा मचाया गया। वहां पर मैजिस्ट्रेट खड़े थे और उनको यह भी कहा गया था कि पहले क्या-क्या बातें हुई। श्री तिवारी के तरफ मिट्टी और पत्थर फेंका गया, उनका माइक्रोफोन तोड़ दिया गया और उसके बाद डंडा भी चलाया गया। अफसोस की बात

यह है, अध्यक्ष महोदय, कि पुलिस और मजिस्ट्रेट खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे । भाला भी चलाया गया और कई आदमी को चोट भी लगी, पर आफिसर ने कुछ नहीं किया। मालूम नहीं, हुजूर, पुलिस वहां क्या कर रही थी और मैजिस्ट्रेट क्या करने के लिए गये थे । वे हुल्लड़बाजी देखने के लिए गये थे या उसे रोकने के लिए गये थे ? सरकारी नौकर का क्या काम रहता है ऐसे मौके पर ? क्या लौ ऐन्ड आर्डर मेंनटेन करने के लिए उनको नहीं भेजा गया था ? सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसे-ऐसे औफिसर पर क्या एक्शन लेना चाहिए । आपको देखना चाहिए कि आप किधर जा रहे हैं। इस किस्म की दुर्घटना आज एक मेम्बर पर गुजरी । यदि इसको सिरियसनेस के साथ न देखा जाय तो हो सकता है कल्ह ऐसी दुर्घटना दूसरों के साथ भी हो । जनतंत्र राज्य में ऐसी दुर्घटना से लोगों को बहुत दुख होता है । यदि सरकार इसे नहीं रोकने की कोशिश करेगी तो आगे चल कर लौ ऐंड आर्डर की रक्षा करना मुश्किल काम हो जायेगा । मैं समझता हूं कि श्री रामानन्द तिवारी जिनके ऊपर यह घटना बीत चुकी है उनको सारी फैक्ट हुजूर के सामने रखने का मौका दिया जायेगा । उसके बाद हाउस को वृहत रूप से मालूम हो जायेगा कि क्या वाकया थी । शायद सरकार की ओर से यह जवाब मिलेगा कि पुलिस के पहुंचने के पहले यह घटना घट चुकी थी । मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या इस तरह की धांधली होने की संभावना की इत्तला सरकार के आफिसर को समय पर दी गयी थी या नहीं और मजिस्ट्रेट डिप्युट हुआ था या नहीं ।

पुलिस को पहले से खबर थी कि दुर्घटना होने वाली है और कुछ लोग तिवारी जीको मारनेवाले हैं जब वे शांतिपूर्वक मीटिंग को ऐड्रेस करने जायेंगे । यह सब जानते हुए पुलिस करीब तीन बजे वहां पहुंची जब पहली दफा उन पर मार पड़ी इसके बाद फिर दूसरी बार भी उन पर मार पड़ी । हाउस के हर एक सदस्य को इस बात पर अच्छी तरह सोचना चाहिये और सोच समझ कर भविष्य के लिये हमेशा सावधान रहना चाहिये । ऐसी घटना के बाद लोग समझेंगे कि जब हमारी ऐसी सरकार है पुलिस और मजिस्ट्रेट के सामने रहते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकी और लोग जो कुछ भी करना चाहते हैं कर डालते हैं तो मेरे ख्याल में लोगों पर इसका असर अच्छा नहीं पड़ेगा। इसलिये ऐसे मामलों में सरकार को अपनी पूरी ताकत से काम लेना चाहिये और लौ ऐंड औडर किस तरह कायम रहे इस पर सोच कर जल्द कार्रवाई करनी चाहिये । इतनी बातें हाउस के सामने रखने के बाद मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं ।

*श्री रामानन्द तिवारी—अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में कोई टीका टिप्पणी करना

नहीं चाहता, मैं सदन के सामने सिर्फ उन बातों को रखना चाहता हूं जो आज जनतंत्र के लिये बहुत जरूरी है । मैं तीन मार्च को ब्रह्मपुर मेला में गया था । वहां सोशलिस्ट पार्टी के लोगों ने मुझसे कहा कि गंगौली ग्राम में एक मिटिंग होने वाली है उसमें आप अपना प्रोग्राम दें । मैंने १३ तारीख के लिये प्रोग्राम दिया और जनता एक्सप्रेस से डुमरांव स्टेशन पर उतरा । मुझसे पहले ही कहा गया था कि जीप पर जाना होगा । उमा चौबे के द्वारा जीप नहीं आने के कारण डुमरांव स्टेशन के निकट एक दूकान पर जहां सी० आई० डी० के रिपोर्टर भी मौजूद थे, मैं गया । कुछ साथ भी हमारे वहां मौजूद थे और उनसे जीप नहीं आने की बात हो रही थी कि पंडित दिवाकर मिश्र वहां पहुंचे, जो आज भी यहां मौजूद हैं ।

कुछ आवाजें—कहां हैं, यहां कहां हैं ?

श्री रामानन्द तिवारी—(हाथ से इशारा करते हुए।) यहां अध्यक्ष दीर्घा में हैं।

श्री कमलदेव नारायण सिंह—अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ग्रौफ ग्रार्डर है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय सदस्य ऐसे व्यक्ति का नाम ले सकते हैं जो गैलेरी में बैठे हों?

अध्यक्ष—नहीं ले सकते हैं।

श्री रामानन्द तिवारी—मैं इसे वापस ले लेता हूं।

उन्होंने कहा कि तिवारी जी, हमलोग मीटिंग बुलाते हैं तो आप नहीं आते हैं। हमने कहा कि सोशलिस्ट पार्टी के लोग मीटिंग करें और कांग्रेस पार्टी के लोगों को बुलायें या कांग्रेस पार्टी के लोग मीटिंग करें और उसमें सोशलिस्ट लोगों को बुलायें यह बिलकुल गलत चीज है। उन्होंने कहा कि जीप नहीं आई है तो आप टमटम से चलें। वे टमटम लाये और उन्होंने कहा कि आप टमटम से चलें और मैं साइकिल से चलता हूं। हमने समझा कि १० मील जाना है, देर होगी इसलिये टमटम पर चले। १॥/२ मील जाने पर उमा चौबे जीप लेकर आ गये। मैं जीप पर बैठ गया और श्री दिवाकर मिश्र साइकिल पर ही चले गये। बीच में नगवां गांव में हम खाना खाने के लिये रुक गये। लगभग २½/२¾ बजे हम गंगोली पहुंचे जहां पर ग्वाले, कुर्मी वगैरह थे। हमारे पहुंचने के दो मिनट के बाद सी० आई० डी० के रिपोर्टर भी पहुंच गये जो पटना से हमारी स्पीच नोट करने के लिये गये थे। हमारे दो तीन साथी आये जिसमें श्री रामरूप राय, जो चौसा के हैं, वे भी थे और उन्होंने कहा कि हमारी धोती छीन ली गई है, लोगों ने मारा भी है और ८ रुपये भी हमसे छीन लिये हैं। इतने में २०-२५ आदमी आये जिनके हाथ में तिरंगा झंडा था और जो 'पंडित जवाहर लाल नेहरू की जय, महात्मा गांधी की जय" का नारा लगा रहे थे। उनके साथ पंडित दिवाकर मिश्र भी थे। आते के साथ उनलोगों ने धूल उड़ाया और अंधेरा हो जाने के बाद मिट्टी का ढ़ेला जीप पर फेंका, भीड़ भागने लगी। हम ड्राइवर के बगल में बैठे हुए थे। इतना होने पर हम जीप से उतर गये और हमने कहा कि यदि आप लोग हमें मारना चाहते हैं तो मारिये, इस पर कुछ लोग हिचके। तब तक उधर से लाठी चली। सी० आई० डी० के रिपोर्टर ने हमें जीप पर बैठा दिया। इसके बाद भाला चलाया गया जो जीप के हुड में लगा। सी० आई० डी० के रिपोर्टर ने कहा कि यहां से चल चलिये। हमने कहा कि मर जायेंगे लेकिन नहीं जायेंगे। तब लोगों ने जीप को ठेला और करीब काउन्सिल भवन की दूरी तक पहुंचे होंगे कि हमने ड्राइवर के ब्रेक को पकड़ लिया और कहा कि हम नहीं जायेंगे। तब तक आर्म्ड फोर्स के साथ बनर्जी साहब जो सर्किल अफसर की जगह पर काम करते हैं, पहुंचे। हवलदार, सीनियर एस० आई० रामबृक्ष भी पहुंचे और उन्होंने कहा कि ३ बजे मीटिंग का समय निश्चित था इसलिये अभी हमलोग आ रहे हैं। हम कुछ नहीं बोले। इसके बाद मैजिस्ट्रेट साहब, उस गांव के प्रधान माननीय व्यक्ति श्री अम्बिका ठाकुर और दिवाकर मिश्र पहुंचे जो आर० एस० एस० के मेंबर थे और गांधी जी के मर्डर केस के सिलसिले में जेल भी जा चुके हैं। वे लोग पहुंचे और हमपर मिट्टी, ढेला की बारिश होने लगी। सी० आई० डी० रिपोर्टर की नाक पर चोट लगी, लाठी से दो हूरा हमें भी लगा। इसके बाद जीप पर लाउड स्पीकर फिट करके बोलने लगे। इसके बाद

भाला वगैरह पर मार पड़ने लगी और मैजिस्ट्रेट साहब हंस रहे थे, दिवाकर जी भी हंस रहे थे, हमारा चश्मा ले लिया गया और मैजिस्ट्रेट साहब के सामने हमसे झंडा ले लिया गया, हमारे एक साथी के सर पर लाल टोपी थी उसको भी ले लिया गया। मैंने मैजिस्ट्रेट साहब से कहा, मीटिंग में भी बोले लेकिन फिर भी कोई भी ध्यान इसपर नहीं दिया गया। फिर कुछ देर के बाद जब हम बोलने के लिये खड़े हुए तो आर्म्ड पुलिस बैनोट राइफल लिये आयी तब एक सिपाही रोने लगा और मजिस्ट्रेट साहब से कहने लगा कि आप जान बूझ कर तिवारी जी को पिटवाना चाहते हैं।

मजिस्ट्रेट के बगल से होकर फिर कुछ आदमी ने चारो तरफ घेर लिया और भाला और लाठी चलाने लगे। इतने ही में बेआस गांव के लोग आगये और उन लोगों ने कहा कि तिवारी जी के साथ ऐसा करना बड़ी बुरी बात है। इसके बाद अम्बीका ठाकुर ने माइक पर कब्जा कर लिया। वे कहने लगे कि जनता का राज्य है, मजिस्ट्रेट या पुलिस यहां आकर कुछ नहीं कर सकते हैं। पुलिस मजिस्ट्रेट का अधिकार कुछ भी नहीं है, जो जनता चाहेगी वही होगा। अम्बीका ठाकुर थाना कांग्रेस कमिटी के सेक्रेटरी हैं और वे हमारे पहले से परिचित भी हैं। हमने मजिस्ट्रेट साहब के सामने कहा कि आपके सामने गोली चल रही है, लाठी और भाला चल रही है। १२ तारीख को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त दिया गया, ९ तारीख को पी० के० चटर्जी ने कहा उसके बाद बनर्जी मजिस्ट्रेट ने बी० के० चटोपध्याय को कहा तिवारी जी को मत जाने दीजिये, हमें मालूम है कि तिवारी जी को वहां लोग पीटेंगे, इस तरह की घटना होने वाली है। हमने सारी बातों को सदन के सामने रख दी। उस वक्त अगर सी० आई० डी० के रिपोर्टर श्री ब्रह्मेश्वर सिंह हमारी रक्षा नहीं करते तो भाला जीप पर नहीं लगता और हम जखमी होते। हंसुआ फेंका गया। तिरंगा झंडा था, जवाहर लाल का नाम लिया गया। सारी बातें उस वक्त हुई। चूंकि हम संबंधित हैं इसलिये मैं ने सारी बातें संक्षेप में कहीं। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं और सरकार से नम्र निवेदन करता हूं कि आप सब लोग इस पर विचार करें कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। आज हमारे ऊपर यह घटना घटी, कल दूसरे के ऊपर घट सकती है। यह जनतंत्र का जमाना है सभी को अपने विचार को प्रगट करने का हक है। हमारा क्या दोष है। हमारा सिर्फ यही दोष है कि हमने अपने भाव को जनता के सामने रखा। इसमें हमारा क्या अपराध है। कुछ लोग गरीबों को तंग करते थे। गरीबों ने हमें बुलाया। हमने अपना कर्त्तव्य समझा और हम वहां गये। इसमें हमारा क्या दोष है। इस पर सदन के लोग विचार करें कि किस तरह से हमारा जीवन बचा। जो हमको मालूम होता है वह आजीवन हम सभी लोगों के सामने रखते ह और रखेंगे चाहे इसके लिये हमें फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाय। तिवारी का चाहे जीवन ले लिया जाय तौभी तिवारी फिर गंगौली गांव में जायगा और अवश्य जायगा।

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—मैं यह वाजिब समझता हूं कि इस संबंध में जो खबर

गवर्नमेंट के पास है उसे भी इस सदन के सामने जहां तक जल्द हो सके रख दिया जाये ताकि बाद विवाद करने में माननीय सदस्यों को सुविधा हो। हमारे पास जो खबर है वह इस प्रकार है।

११ मार्च, १९५४ को डुमरांव पुलिस स्टेशन से उमानाथ चौबे ने एक चिट्ठी भेजी जिसमें उन्होंने कहा कि १३ मार्च, १९५४ को गंगौली में एक सभा होगी। मैं आपको

बता देना चाहता हूं कि जो नोटिस निकली उस नोटिस की कापी हमारे पास है उस नोटिस में यह बताया गया कि ४ बजे शाम को सभा होगी। श्री रामानन्द तिवारी, एम० एल० ए० का भाषण उस सभा में होगा। उमा नाथ चौबे ने जो पत्र भेजा उसे भी पढ़कर सुना देना चाहता हूं। वह पत्र इस प्रकार है :

"This is to inform you and request you to take adequate protection of our life which is in danger due to the furious attitude of the Zamindars of Gangauli village, thana Dumraon where we are going to organise a meeting of the local landless labourers."

अध्यक्ष महोदय, यह नोटिस मैंने जो पढ़ दी उसकी भी रेलिवेंसी है और चिट्ठी लिखी उसकी भी रेलिवेंसी है। रेलिवेंसी यह है कि इस चिट्ठी में उमानाथ चौबे ने यह नहीं बताया कि सोशलिस्ट पार्टी के जो सदस्य काम कर रहे थे उनको जान किस तरह खतरे में थी। यहां के जमींदार की क्या ज्यादती हो रही है यह कुछ नहीं बताया। अगर उसका डीटेल देते तो ज्यादा अच्छा होता। मैं यह नहीं कहता हूं कि पुलिस दूसरी कार्रवाई करती। मेरा अपना ख्याल है कि इस मामले में पुलिस ने केवल तत्परता ही से नहीं वल्कि उदारता से काम किया। साधारणतः इस तरह की खबर पुलिस में भेजी जाये तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी जबतक उसके पास डीटेल नहीं भेजा जाये कि क्या कार्रवाई करे, क्या खतरा है, किस तरह किसकी जान खतरे में है। मगर तौभी उमानाथ चौबे की चिट्ठी मिलने के बाद सब इंसपेक्टर ने क्या कार्रवाई की मैं बता देना चाहता हूं। उन्होंने चिट्ठी को डिस्ट्रीक्ट मजेस्ट्रेट, आरा के पास भेज दिया। उस चिट्ठी की कॉपी उन्होंने एस० पी० के पास, एस० डी० ओ० के पास और डिस्ट्रीक्ट इंसपेक्टर, बक्सर के पास भेज दिया कि एक आर्म्ड फोर्स भेजे।

मैं कहता हूँ कि श्री रामानन्द तिवारी को इसके लिये अनुगृहित होना चाहिये था कि एक चिट्ठी जिसमें कोई डिटेल नहीं था मगर पुलिस ने इसमें प्रौम्प्ट ऐक्सन लिया और कहा कि एक आरम्ड फोर्स के साथ एक मजिस्ट्रेट भेजिये। १३ की बात है, आर्म्ड पुलिस डुंमराव पहुंची और चूंकि नोटिश में ४ बजे का वक्त दिया गया था, वह रवाना हुई और राजपुर गांव में पुलिस २ बजे दिन को पहुंची। उस वक्त पुलिस को तिवारी जी से मुलाकात हुई जो गंगोली की तरफ से आ रहे थे। बक्सर के उमाकान्त चौबे और उनके चार कार्यकर्ता उस जीप में थे। उमाकान्त ने कहा कि स्कूल के लड़के और कुछ दूसरे लोग गंगोली में जमा हो गये और गांधी जी, जवाहर लाल जी तथा रामानन्द लौट जाओ, रामानन्द भाग जाओ का नारा लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि जो लोग जमा थे वे इस बात के लिये तैयारी कर रहे थे कि यदि रामानन्द तिवारी वहां पहुंचेंगे तो उनको जूते का हार पहिना दिया जायगा। उन्होंने कहा कि रामानन्द तिवारी का चश्मा ले लिया गया और कुछ गोबर और गर्द फेंका गया। उस वक्त सब-इन्पेक्टर ने कहा कि आप मिहरबानी करके एक रिट्न ब्यान दे दीजिये और अगर आप बयान दे देंगे तो मैं उसपर उचित कार्रवाई करूंगा। अभी माननीय सदस्य ने बताया है कि उनके साथ बहुत ज्यादती हुई तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ज्यादती हुई तो उनका फर्ज था कि वे एक रिट्न स्टेटमेंट पुलिस को दे देते। उन्होंने कहा कि लोगों ने हमारी जीप को लौटा दिया। जीप तो उतनी तेज नहीं दौड़ रही थी कि आप उसी वक्त नहीं कहते कि हम मीटिन्ग में नहीं रहेंगे। आपने जीप को लौटा लिया और राजपुर गांव में पुलिस से भेंट हुई। आपने देखा कि पुलिस आपकी मदद में आ गयी है तब फिर मीटिंग के स्थान में जाने को तैयार हो गये। जिस तरह से रामचन्द्र जी

ने सुग्रीव को बाली से लड़ने के लिये भेजा लेकिन सुग्रीव जब वापस लौट आया तब रामचन्द्र जी ने उसका शरीर छू दिया। उसी तरह से आपने देखा कि पुलिस आ गयी तो फिर वहां गये। वहां जाने के बाद बहुत से लोग जमा हो गए। आपकी जमात बहुत कम थी और दूसरे लोगों की जमात अधिक थी। आप शिकायत करते हैं कि पुलिस ने कोई कारंवाई नहीं की तो मैं बता देना चाहता हूँ कि पुलिस की नियत वैसी रहती तो वह अलग खड़ी रहती। लेकिन पुलिस ने इनको चारों ओर से घेर लिया ताकि उनपर आक्रमण न हो। आपने मीटिंग ऐड्रेस करने की कोशिश की। अभी आपने कहा कि लाउडस्पीकर को किसी ने तोड़ दिया मगर इसके बारे में मेरे पास रिपोर्ट है कि वह ठीक से वर्क नहीं की। फिर भी आपने भाषण देने की चेष्टा की और चूंकि लोग बहुत थे और नारा लगा रहे थे कि तिवारी हमारे यहां से वापस चले जाओ, आपको दलालों ने यहां लाया है, इसलिये भाषण नहीं दे सके। उसके बाद पुलिस ने इनको फिर से जीप में बैठा दिया। जब जीप में आये तो लोगों ने गर्द और गोबर फेंका। अगर भाला चलाया गया होता तो एफ० आइ० आर० रहती। मैं पूछता हूँ कि लोग किसलिये भाला चला रहे थे, इसलिये न कि तिवारी जी को मारा जाय, तो भाला की चोट उनको लगती, लाठी की चोट लगती और हमने समझा था कि इस सदन में वे अपना बदन दिखावेंगे कि कहां भाला की चोट है। अगर किसी ने गर्द फेंक दिया, मीटिंग नहीं होने दिया तो मैं समझता हूँ कि पब्लिक लाइफ में कोई अच्छी चीज नहीं है मगर मैं कहना चाहता हूँ कि आप क्या समझते हैं कि आप जो मीटिंग करना चाहते हैं, प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं, वह केवल पुलिस की मदद से। आप अक्सर कहते हैं कि जब मिनिस्टर कहीं जाते हैं तो उनके साथ पुलिस जाती है। अगर हम आज कहीं जायं, पब्लिक मीटिंग में और लोग सुनने को तैयार नहीं हो तो क्या पुलिस के जरिये लोगों को शूट किया जाय। जंगल का आंदोलन जब चला था तब हमको भी काला झंडा दिखाया गया था और इस तरह से राजनीतिक जीवन में घटनाएँ तो रोज होती हैं। आप कुछ लोगों की राय के मुताबिक वहां गये थे। अगर वहां कुछ कौगनिजेबुल ऑफेन्स होता तो आप कहते कि हमने नेगलेक्ट किया। आपको धन्यवाद देना चाहिये कि एक मामूली चिट्ठी लिखने पर इतनी कारंवाई की गयी। आज डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी से ऐसी चिट्ठी जाती है तो मजिस्ट्रेट कोई ऐक्सन नहीं लेता है। आपके लिये आर्म्ड सेक्सन भेजा गया। टेम्पेस्ट इन ए टी पौट। ट्राइ एन्ड ट्राइ अगेन। दो चार पांच वर्ष के बाद आपकी बात लोग सुनेंगे। अगर गुस्सा होना चाहिये तो आपको अपने और अपने संगठन के ऊपर। लेकिन आपने पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पर गुस्सा उतारा। मैंने हाउस के सामने फैक्ट को इसलिये रख दिया ताकि डिबेट में कोई दिक्कत न हो और फैक्ट जानने के बाद लोग वादविवाद कर सकें।

श्री कर्पूरी ठाकुर—अध्यक्ष महोदय, जो कुछ इस घटना के संबंध में सच्ची बात मैं जानता हूँ वह आपके द्वारा इस सदन के सामने रखना चाहता हूँ। २८वीं फरवरी, १९५४ को गंगोली में खेतिहर मजदूरों की एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में बक्सर के सोशलिस्ट कार्यकर्ता श्री उमानाथ चौबे और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता गये थे। खेतिहर मजदूरों के संगठन के बारे में जो कुछ कहा जा सकता है उन्होंने अपने भाषण में बतलाया था।

श्री हरिहर प्रसाद सिंह—कै बजे ?

श्री कर्पूरी ठाकुर—समय का पता नहीं दे सकता हूँ। उस मीटिंग के एक रोज बाद या उसी दिन खेतिहर मजदूरों को कुछ लोगों ने पीटा। १ली मार्च, १९५४ को १८ आदमियों ने जिनका नाम मेरे पास है, एस०डी०ओ०, बक्सर के यहां जाकर दरखास्त दी कि जमींदार लोग उनसे अब भी बेगार लेना चाहते हैं, जैसा कि बहुत दिनों से वे लेते रहे हैं। जबरदस्ती मजदूरों से काम लेना चाहते हैं, मजदूरों की इज्जत और आबरू लूटना चाहते हैं, आदि, आदि, साथ ही जिन लोगों ने उनको मारा था, बेइज्जत किया था उनका नाम भी दरखास्त में दिया था। उनके नाम थे लाल चन्द, रामदयाल, ब्रह्मदेव ठाकुर वगैरह। एस० डी० ओ० ने आर्डर दिया कि दारोगा डुमरावं जाकर इनक्वायरी करें और १०वीं मार्च, १९५४ तक रिपोर्ट दें लेकिन इसकी इनक्वायरी नहीं हुई। ४ तारीख को फिर खेतिहर मजदूरों को, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, पीटा गया। ५ तारीख को खेतिहर मजदूरों ने जाकर १०७ की कार्रवाई करने के लिये एस०डी०ओ० को दरखास्त दी। जिस तरह एक वकील बजाप्ते मसौदा बनाकर दर्खास्त देता है उसी तरह उनलोगों ने भी दर्खास्त दी। जो उनके बयान हुए उसमें कहा गया था कि उनकी बेइज्जती हुई है, उनको मारा पीटा गया है, आदि, इस तरह ढ़ाई पन्ने की दरखास्त दी। जिन लोगों ने मारा पीटा था उनका नाम दिया गया और १०७ की कार्रवाई करने के लिये कहा गया, क्योंकि उनकी जान खतरे से खाली नहीं रह गयी थी। ६ ता० तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी, कोई आश्वासन नहीं मिला। सरकार के कोई अफसर नहीं भेजे गये तो तार भेजा गया मुख्य मंत्री को, पटना के कमिश्नर को, आरा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, हरिजन वेलफेयर अफसर को और एस० पी० साहब को। उसमें यह लिखा था :

"looting shops, assaulting men and women, apprehensive breach of peace, etc".

इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गयी। श्री उमानाथ चौबे और कुछ खेतिहर मजदूर पटना आये और हमलोगों से मिले। हमलोगों ने जिसमें बसावन बाबू, श्री राम नारायण चौधरी और मैं था, मुख्य मंत्री से मिलकर बातें की और वहां की सारी बातों की जानकारी मुख्य मंत्री को करायी। मजदूरों ने बताया कि सिद्धनाथ कहार की स्त्री आठ रोज से गायब है। सिद्धनाथ वहां के कार्यकर्त्ता हैं। उनलोगों ने मुझसे कहा कि आप वहां चलें और अपना प्रोग्राम दें क्योंकि अम्बिका ठाकुर और लल्लन ठाकुर जो एक दूसरे गांव के जमींदार हैं हमलोगों को बहुत तंग कर रहे हैं। चूंकि मुझे फुर्सत नहीं थी, मैंने प्रोग्राम नहीं दिया। जब मुख्य मंत्री से हमलोगों ने कहा तो उन्होंने कहा कि लिखकर दीजिये। हमने लिख कर नहीं दिया यह हमारी गलती है लेकिन स्मरण रहे कि सबों के यहां और एस०डी०ओ के यहां दुर्खास्त दी गयी थी। इसके बाद श्री रामानन्द तिवारी जी ने अपना प्रोग्राम दिया कि वे १३ तारीख को गंगोली जायंगे। ९ तारीख को हमारे साथियों को मालूम हुआ कि मीटिंग में जमींदारों की ओर से दंगाफसाद और मारपीट होनेवाला है तो १० तारीख को टेलीग्राम दिया गया, ११ तारीख को चिट्ठी दी गयी, १२ तारीख को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को खबर दी गयी। ९ तारीख को पी०के० चट्टोपाध्याय ने जो नवजवान वकील साथी हैं, पुलिस इन्सपेक्टर, बक्सर को खबर दी कि गंगोली में मार पीट की संभावना है—लिखकर नहीं दिया, जबानी कहा। यह हिम्मत राजस्व मंत्री की ही है कि वे इन बातों से इन्कार कर रहे हैं। १८वीं फरवरी, १९५४ को जो वाकया हुआ, ४ तारीख को जो वाकया हुआ, जो मार पीट हुई, लोगों की इज्जत और आबरू जो लूटी गयी और यहां तक कि एक स्त्री के गुप्तांग में लाठी तक घुसेड़ी गयी।

(शेम शेम की आवाज)।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात मुख्य मंत्री से नहीं कहना चाहता था। बसावन बाबू ने कहा कि मुख्य मंत्री से क्यों नहीं कह देते, तब बड़े शर्म के साथ मुझे मुख्य मंत्री से यह कहना पड़ा।

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का दावा है कि जिस आजादी की लड़ाई में ट्रेजरी बेन्च के लोगों ने हाथ बटाया है उस आजादी की लड़ाई में हम और हमारे साथी पीछे नहीं रहे हैं। जिस तिरंगे झंडे के नीचे रहकर हमलोगों ने अजादी हासिल की, उसी तिरंगे झंडे को लेकर आज इस तरह की गुंडई की जाती है। उस तिरंगा झंडा को अपमानित किया जा रहा है और कांग्रेस को बदनाम और कलंकित किया जा रहा है। अम्बिका ठाकुर और लल्लन सिंह ने मिलकर जो षड़यन्त्र रचा और कांग्रेस की इज्जत पर धब्बा लगाया वह अत्यंत शर्मनाक बात है। श्री रामानन्द तिवारी की बात छोड़ दीजिये, लेकिन खेतिहर मजदूरों के साथ, गरीब मजदूरों के साथ जो अत्याचार हुआ है उसके लिये आप क्या करने जा रहे हैं। हम राजस्व मंत्री के मुंह से इस तरह की बात सुनकर चकित हैं। हम समझते थे कि वे गरीबों के बारे में कुछ सोचते हैं और उनके लिये कुछ करने का भी स्वप्न देखते हैं, लेकिन आज जो उनका भाषण हुआ है, उससे पता चलता है कि वास्तविकता इससे बहुत दूर है। अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ विशेष कहना अच्छा नहीं समझता हूँ। मैं दो चार सवाल आपके सामने पूछना चाहता हूँ। उन पर आप विचार करें—

(१) क्या आपके अधिकारियों ने वहां की स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिये, जिसकी सूचना उनको पहले दी जा चुकी थी, कुछ किया?

(२) अधिकारियों को ५ तारीख को जो दर्खास्त दी गयी थी, ६ तारीख को जो तार दिया गया था, ११ तारीख को जो चिट्ठी दी गयी थी और फिर १२ तारीख को जो तार दिया गया था, उसपर अधिकारियों ने क्या किया?

(३) जो घटना मीटिंग में घटी है, और जिस दुर्घटना के आशंका की सूचना अधिकारियों को पहले से थी, गरीबों की जो इज्जत और आबरू लूटी गयी, उनके साथ जो मार पीट की गयी, स्त्रियों की जो बेइज्जती हुई, उनके गुप्तांग में जो लाठी घुसेड़ी गयी, और मीटिंग में जो बदमाशी और अत्याचार हुए उसको रोकने के लिये अधिकारियों ने क्या किया?

(४) चौथी बात सदन के लिये विचारणीय यह है कि ऐसी संगीन परिस्थिति में भी अपने अधिकारियों की कर्त्तव्य की अवहेलना, लापरवाही और पक्षपात को प्रोत्साहन देना, ट्रेजरी बेंच पर मिनिस्टर की हैसियत से बैठकर गलत भाषण देना और अत्याचारों पर पर्दा डालकर गणतंत्र को कलंकित करना, घटना की जांच-पड़ताल न करना, गरीबों की इज्जत-आबरू की सुरक्षा की गारंटी नहीं देना गणतंत्र के लिये कहां तक उचित है? क्या ऐसी सरकार जिसके राज्य में ये सब चीजें हो रही हों, ज्यादा दिन तक ठहर सकती है? यदि सरकार हमलोगों को छोड़ दे तो हमलोग भी जमींदारों के घरों पर कब्जा कर ले सकते हैं और उनका गर्व धूल में मिला सकते हैं। लेकिन सोशलिस्ट पार्टी के लोग ऐसा करना नहीं चाहते। हम भी उनके भाला और बर्छा का सामना कर सकते हैं; यह ताकत हम में है, लेकिन ऐसा करना हमारे सिद्धांत के विरुद्ध होगा। मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर सरकार में तनिक भी सच्चाई है और न्याय प्रियता शेष है तो खेतिहर मजदूरों की रक्षा के लिये, वहां की पिछड़ी जाति के लोगों की आजादी के लिये शीघ्र कदम उठाये। इतना ही कहकर मैं बैठ जाना चाहता हूँ।

*श्री हरिहर प्रसाद सिंह—अध्यक्ष महोदय, मुझे हार्दिक दुख है कि मुझे भी इस वाद-विवाद में भाग लेना पड़ा है। खैर, फिर भी मैं आपके सामने इस सदन में मुदालय के रूप में खड़ा हुआ हूँ। जिस जगह के बारे में हमारे मित्र श्री कर्पूरी ठाकुर जी बोल गये बदकिस्मती से वह मेरा निर्वाचन क्षेत्र है और मैं वहीं का प्रतिनिधित्व करता हूँ। इस लिये मैं कहीं ज्यादा वर्णन उस निर्वाचन के बारे में कर सकता हूँ। श्री कर्पूरी ठाकुर जी के भाषण को मैंने खूब गौर से सुना और उन्होंने जो वहां के जमींदारों की शिकायत की है तो हमारे मित्र कर्पूरी जी को मालूम होना चाहिये कि वहां अब जमींदारी नहीं है। वहाँ के जमींदार तो अब हमारे माल मंत्री हैं। कर्पूरी जी ने कहा है कि गंगोली में मीटिंग हुई तो मुझे भी उस मीटिंग के बारे में जानकारी है और वह मीटिंग रात में हुई थी। उस मीटिंग में जिसमें करीब दो चार आदमी थे, उनलोगों को इस तरह की मीटिंग करना पेशा सा हो गया है और वे गृह कलह पैदा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। यह बड़ी चर्चा है कि सिद्धनाथ की औरत लापता हैं। पुलिस के यहां दरखास्त दी गयी। पुलिस की जांच से पता चला कि सिद्धनाथ की औरत सिद्धनाथ के बाप के यहां है।

श्री रामानन्द तिवारी—यह बिल्कुल गलत बात है।

श्री हरिहर प्रसाद सिंह—नहीं बिल्कुल ठीक बात है।

श्री कर्पूरी ठाकुर—तो अच्छा होता कि हम और आप एक साथ वहां चलकर इस बात की जांच करते।

श्री हरिहर प्रसाद सिंह—मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसा चर्चा करना जिससे लोगों के दिल में अशांति फैले यह क्या जायज है? रघुनाथ चौबे के बारे में आपने बहुत सी बातें कहीं। क्या वहां आपके पार्टी के आदमी नहीं थे? आप क्या अपने पार्टी के सभी लोगों को जानते हैं, और क्या आप यह नहीं जानते हैं कि आपके पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं कि बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं? तिवारी जी के साथ जो घटना हुई उससे हमें दुख है लेकिन अगर हमको अधिकार है कि जहां चाहें मीटिंग कर लें तो यह कहां लिखा हुआ है कि पुलिस को यह अधिकार है कि वह जनता के ऊपर जबरदस्ती करे कि वह हमारी बातों को सुने। यह जनता की मर्जी की बात है कि वह मेरी बातों को सुने या न सुने तो पुलिस इसमें क्या कर सकती है। हमको आपकी नोटिस नहीं मिली लेकिन जो नोटिस बांटी गयी थी उसे मैंने देखा है। मैं आपको यह बतला देना चाहता हूँ कि जहां मीटिंग की गई उस इलाके को नहर से कोई सरोकार नहीं है। हमारे सिंचाई मंत्री कितनी भी कोशिश क्यों न करें लेकिन उस इलाके में पानी नहीं पहुँचा सकते हैं और न वहां ट्यूब-वेल ही काम कर सकता है। फिर भी आपने उस इलाके में नहर रेट के बारे में मीटिंग की और वहां के लोगों को चढ़ाया। थाना कांग्रेस कमिटी के सेक्रेटरी की बड़ी चर्चा हुई है। क्या कसूर उसने किया? आपकी हरकत ऐसी है कि लोग आपको सुनना नहीं चाहते हैं। डुमरांव में श्री उमानाथ चौबे से आपकी मुलाकात हुई और वे आपसे बोले कि वहां मत जाइए तो फिर इस तरह की सफाई देना आपके लिये अच्छा नहीं है। मेरी खबर है कि जिन दो आदमियों के बारे में यह चर्चा की गई है कि वे जुर्म किए हैं यह गलत है। उन्होंने तो शांति रखने की

कोशिश की है ऐसा मेरा बिल्कुल सही इन्फोरमेशन है। आपने कहा कि भाला और लाठी चली तो ठीक है। मेरे दोस्त तिवारी जी को भी मालूम है कि वह ऐसी जगह है जहां बात-बात में लाठी और भाला निकल जाता है। हूजूर, मोकदमा चला, १०७ की कार्रवाई हुई और जो लोग मुदालय हैं उनमें कुछ ऐसे लड़के हैं जिनकी उम्र १२, १४ वर्ष की है, कुछ ऐसे हैं जो परीक्षा दे रहे थे, कुछ ऐसे हैं जो बनारस में पढ़ रहे हैं। पिटिशन में लिखा गया:

"The members of O. P. have looted all the properties of there shops belonging to Madu Halwai, Natha Kanu and Sahdeo Teli and have demolished the building of the shops in the morning of the 4th March, residential house of Sahdeo had been already demolished a few days ago."

मेरी खबर है कि इन चार आदमियों ने बाद में यह बयान कोर्ट के सामने दिया है कि ये बातें झूठी हैं और किसी का घर डीमोलीस्ड नहीं किया गया है। मैं समझता हूँ कि मेरी यह खबर सही है और मैं कर्पूरी जी से अनुरोध करूँगा कि वे जिसको चाहें वे साथ लेकर जायं और देखें कि मकान डीमोलिश किए गये हैं या नहीं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि आप गंगोली के बारे में जो नोटिश बांटे हैं कि औरतों को लापता किया और दंगे कराए गए, इससे आप क्या करना चाहते हैं। गंगौली के तो तीन मील में आपने परचे बटवाए और नारा लगवाये। लेकिन यदि कोई आदमी आपको सुनना नहीं चाहता है तो इसके लिये पुलिस का प्रोटेक्शन नहीं मांग सकते हैं।

श्री कर्पूरी ठाकुर—जो सुनना नहीं चाहता वह मीटिंग में न आवें।

श्री हरिहर प्रसाद सिंह—आप कहते हैं कि बहुत लोग सुनने के लिए तैयार नहीं थे। मैं कहता हूँ क्यों लोग सुनने के लिये तैयार नहीं थे? आपको क्यों लोग घेर कर खड़े थे और इस तरह का मौका क्यों आया? मैं कहता हूँ इसलिये आपकी बात लोग नहीं सुनना चाहते थे कि आपने लोगों को वर्गलाया, आपने लोगों से कहा कि अभी रामानन्द तिवारी आते हैं और जब वह आ जाते हैं हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि बड़े-बड़े लोगों की जमीन छीन कर और लोगों में बंटवा देंगे। तो आप इस तरह की बात कीजिये वह ठीक है और फिर कहें कि पुलिस ने मदद नहीं दी। आप लोगों को कहते हैं नहर का रेट मत दो, जो लोग नहर का रेट वसूल करने के लिये आवें उनको पीटो और बांधो और आप गवर्नमेंट और पुलिस को सेंशर करना चाहते हैं। आप बोलना भी चाहते हैं, और लोग आपकी बात नहीं सुनना चाहते हैं तो आप पुलिस को सेंशर करना चाहते हैं। इसके लिये दूसरा तरीका है। हम खुद नहीं चाहते हैं कि राजनीतिक जीवन में हमलोगों के इस तरह की चीज हो। हमारे लिये वह तरिका अहिंसा का है और आपके लिये भी। हम तो उम्मीद नहीं करते थे कि दरभंगे के लोग भी इस तरह की भाषा जैसी श्री कर्पूरी ठाकुर जी ने इस्तेमाल किया कर सकते हैं। उन्होंने लाठी और भाले का थ्रेट दिया ....।

श्री कर्पूरी ठाकुर—हमने यह नहीं कहा; हमने कहा कि यह लज्जा की बात होगी हमारे लिये ऐसा करना। हमने थ्रेट नहीं दिया।

श्री हरिहर प्रसाद सिंह—आपने कहा कि आप ऐसा कर सकते थे। कुछ लोग जो आपके हथकंडों को जानते हैं, जो जानते हैं कि आप लोगों को गुमराह करते हैं वह आपकी बात को नहीं सुनने के लिये तैयार हैं। पुलिस ने आपकी मदद की जहां तक हो सका। कांग्रेस का सेक्रेटरी खड़ा होकर लोगों से कह रहा था कि यह बात गलत है, ऐसा मत करो। लेकिन, हुजूर, हम लोगों के यहां एक कहावत है कि जिसके लिये चोरी करे वही कहे चोरा। आपने नोटिस दिया कि ४ बजे मीटिंग करेंगे और आप गये १ बजे, तो इसका मतलब यह है कि आप चाहते हैं कि इस तरह की बात हो जिसमें हंगामा हो, अखबार में नाम छपे और स्थगन प्रस्ताव आवे। यह सब गलत है। हम राजनीतिक जीवन में खुद ऐसी चीजों को पसंद नहीं करते हैं लेकिन जब आप लोगों को गुमराह करते हैं तब तो रोज ही ऐसी बात हो जा सकती है और होती है। हमलोगों की जिन्दगी में भी ऐसी बातें होती रहती है। अगर आप एलीगेशन करते हैं कि भाला चला; आप पत्थर की बात करते हैं, तो उधर तो पत्थर होता ही नहीं, वहां तो गंगा जी का बालू है। छोटानागपुर में पत्थर हो सकता है लेकिन हमारे यहां तो गंगा का बालू है।

आप सिद्ध नाथ की बात करते हैं। मैं इसका जिक्र नहीं करना चाहता था लेकिन आपने इस चीज को यहां लाया और मुझको भी कुछ कहना पड़ता है। आप कहते हैं सिद्धनाथ को पंचायत नहीं चाहती है। ठीक है, उस गांव की पंचायत सिद्धनाथ को नहीं पसंद करती है। क्यों नहीं पसंद करती है मैं आपसे कहता हूँ। सिद्धनाथ को पंचायत इसलिये नहीं पसंद करती है कि उन्होंने वहां के एक कुलवधु की इज्जत पर आघात किया। इस बात की जानकारी एक गरीब हरिजन को हुई और उसने विरोध किया। उस हरहंगी चमार के गाड़ी के दोनों पहिये उसी रात को गायब कर दिये गये। पंचायत ने फैसला किया कि १० दिन के अंदर सिद्धनाथ हरहंगी के गाड़ी के पहियों को देदें। और आप उसी आदमी की वकालत करते हैं।

कुछ कांग्रेस दल के सदस्य—शेम, शेम।

श्री हरिहर प्रसाद सिंह—तो सब बात बिना समझे बूझे किसी की बात सुनकर इस तरह नहीं कहना चाहिये। मैं अब ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ।

श्री रामेश्वर प्रसाद महथा—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विरोधी दल के नेता श्री सिदुई हेम्ब्रोम के स्थगन प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। अध्यक्षमहोदय, जो विषय सभा के सामने प्रस्तुत है यह बहुत ही दुखद और लज्जा जनक मालूम होती है। हमने आपोजिशन और सरकारी पक्ष के लोगों का भाषण ध्यानपूर्वक सुना है। उससे यह मालूम होता है कि इस तरह की घटना घटी और उसमें कोई संदेह नहीं हो सकता। अब देखना यह है कि इस घटना को रोकने के लिये सरकार की मशीनरी कितनी दूर तक कामयाब रही या उसने कोनाइव्ह किया या नहीं। जैसा श्री कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा यह अच्छी तरह से जिला के अधिकारियों को मालूम था कि वहां मीटिंग होनेवाली है और खतरे की संभावना भी है। अभी सरकार की ओर से कहा गया कि जिस तरह से vague रिपोर्ट सोसलिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी ने दिया और उस रिपोर्ट पर पुलिस ने काम किया वही बहुत ज्यादा किया। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह वहां की घटनाओं का सिलसिला है उससे तो यही साबित होता है कि थाने के पुलिस के अधिकारियों को पूरी तरह यह मालूम था कि वहां टेंशन है। ऐसी परिस्थिति में अगर उन्होंने यह किया तो

कौन-सा बड़ा काम किया? और ऐसा अगर किया और कामयाब नहीं रहे तो क्यों कामयाब न रहे? यही हम लोगों को विशेष रूप से सोचना है। अगर किसी पार्टी का नेता या पब्लिक ओपीनियन का नेता मैजिस्ट्रेट की उपस्थिति में भी भाषण नहीं दे सकता है तो गणतंत्र के नाम पर संचालित सरकार के राज्य में दूसरे लोगों को कहां तक मौका दिया जा सकता है विचारणीय है फिर किस तरह यह समझा जाय कि कोई अपने नागरिक अधिकारों की रक्षा कर सकता है? अध्यक्ष महोदय, गणतंत्र के नाम पर जो पार्टी शासन चला रही है उसके शासन काल में अगर गणतंत्र के नाम पर किसी पब्लिक ओपीनियन के नेता के ऊपर या किसी भी व्यक्ति के ऊपर जिसको एलेक्टोरेट ने चुनकर भेजा है इस तरह का जुल्म ढाया जाय तो हम नहीं समझते हैं कि इस तरह गणतन्त्र की रक्षा हो सकेगी। अध्यक्ष महोदय, जैसा श्री कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा कि सरकार पिछड़ी जाति पर......

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—औन ए पोइन्ट औफ औडर, सर। श्री कर्पूरी ठाकुर ने कहा और अभी रामेश्वर जी कह रहे हैं कि बैकवार्ड क्लास को हैरास करने की या उनपर अत्याचार करने की बात थी। मैं कहता हूँ यह विषय हमारे सामने अभी नहीं है। कर्पूरी ठाकुर जी इतनी तेजी से बोल रहे थे कि मैं उनको ठहरा नहीं सका। मेरा कहना है कि अभी हमारे सामने सीमित विषय है। लिमिटेड इसू यह है कि रामानन्द तिवारी के बारे में जो

assault, manhandling, attempt to murder, theft of personal property and violation of fundamental rights to organise and address public meeting at village Ganguli,

इत्यादि का प्रश्न है उस पर आप बोल सकते हैं। पुरानी बात और १४४ प्रोसिडिंग के बारे में आप दूसरे मौके पर बोल सकते हैं। अभी इन प्रश्नों को यहां उठाना ठीक नहीं है और ये सब बातें आज के डिसकशन में नहीं आनी चाहिये।

अध्यक्ष :—मैं इस प्वायन्ट ऑफ आर्डर को मानता हूं। आप सिर्फ घटना के बारे में कहिये।

श्री रामेश्वर प्रसाद महथा—मेरे कहने का मतलब यह था कि आखिर जो घटना हुई तो इसका बुनियाद क्या था? सरदार हरिहर सिंह ने अपने भाषण में कहा है कि आप दूसरों को अपने दल में बहका कर लेना चाहते हैं। यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि जो भी पार्टी पावर में रहती है वह दूसरी पार्टी के प्रचार को बहकाना ही कहती है। उन्होंने यह भी कहा है कि आप बहकाते फिरते हैं और वे आपको सुनना नहीं चाहते हैं। इस तरह की बात हरेक पार्टी जो पावर में रहती है अपनी बुराई पर पर्दा डालने के लिये कहती है। हरेक पार्टी को अपना प्रोग्राम जनता के सामने रखने का हक है लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी बराबर दूसरी पार्टी के इस हक को अपहरण करने की चेष्टा करती है।

दूसरी बात यह कही गई है कि वे लोग तिवारीजी को सुनना नहीं चाहते थे। अगर वे लोग जब उनको सुनना नहीं चाहते थे तो फिर वहां पर किसलिये आये थे, क्या वे हिंसा की भावना से नहीं आये थे? वहां पर आने का यही मतलब था कि वे उनके भाषण को सुनना चाहते थे और कुछ लोग हिंसा की भावना लेकर वहां पर आये हुए थे और उनलोगों ने पुलिस और मजिस्ट्रेट के सामने भी इस तरह की हरकत

वहां पर की, यह उनके कारनामें से साफ झलकता है। वहां पर पुलिस और मजिस्ट्रेट के सामने इस तरह की घटना हुई तो आप क्या इसी तरह से जनतांत्रिक शासन चलाना चाहते हैं। अभी तिवारी जी ने यह कहा है कि इस तरह के वाक्या होने पर भी जो मजिस्ट्रेट वहां पर भेजे गये थे वे कोई कारंवाई न कर सिर्फ हंस रहे थे। अगर यह सरकार इस तरह के अफसर के खिलाफ कोई कारंवाई न करेगी तब इसका यही मानी होगा कि यह सरकार दूसरी पार्टी को जनता के सामने अपना प्रोग्राम नहीं रखने देना चाहती है और यहां का शासन डिक्टेटर की तरह चलाना चाहती है। ऐसा होने से यह जनतांत्रिक सरकार की सल्तनत न रह कर एक डिक्टेटर की सल्तनत हो जायगा। अगर आप जनतंत्रात्मक वसूल पर राज को चलाना चाहते हैं तो आपको यहां के पुलिस और उसके उच्च अधिकारियों की कारंवाइयों पर ध्यान देना होगा और इस तरह की उनकी हरकत को रोकना होगा। अभी जिस तरह से घटना हुई है उससे यह साफ जाहिर होता है कि यह घटना पुलिस और सरकार के उच्च अफसरों के कोनाइवेन्स से हुई है। जब जनतंत्रात्मक युग में किसी पार्टी को अपना प्रोग्राम जनता के सामने नहीं रखने दिया जाय तब हम क्या समझेंगे। हम तो यही समझेंगे कि जो पार्टी सत्तारूढ़ हो गयी है वह अब दूसरी पार्टी की जनता के संपर्क में नहीं आने देना चाहती है और न जनता के सामने उसको अपना भाषण देने का ही मौका देना चाहती है। क्या सत्तारूढ़ पार्टी यह चाहती है कि उनकी कोई आदमी आलोचना न करे और वह पार्टी हमेशे गद्दी पर बैठी रहे? अगर ऐसा होगा तब जनतंत्रात्मक न होकर डिक्टेटरशीप हो जायेगा। वहां पर सरकार की तरफ से जो कारंवाई हुई है वह निन्दनीय है और किसी भी सरकार का व्यवहार इस तरह का नहीं होता है। जब सत्तारूढ़ दूसरा पार्टी पार्टी की रक्षा अपना प्रोग्राम रखने के समय नहीं कर सकती है तो यह तो सरकार की कमजोरी समझी जायेगी। अगर किसी को इस तरह से अपने प्रोग्राम को प्रचार नहीं करने दिया जायेगा तो उसको संविधान से जो फंडामेंटल अधिकार इसके लिये मिला हुआ है उस अधिकार को उसे काम में लाने से आप वंचित कर रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो एक प्रजातंत्रात्मक शासन के लिये यह बड़े शर्म और दुख की बात है। इतना ही कह कर मैं समाप्त करता हूं।

श्री देवनारायण यादव—अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने दोस्त की बात को बड़े और

से सुना है। अगर थोड़ी देर के लिये श्री कर्पूरी ठाकुर की यह बात मान ली जाय कि वहां के गरीबों पर वहां के जमींदारों ने अत्याचार किया है जिसकी खबर वहां के अधिकारियों और यहां के मिनिस्टरों को भी थी और इसके बावजूद भी कोई कारंवाई सरकार की तरफ से नहीं हुई तो उसके लिये उन्होंने स्थगन प्रस्ताव आज क्यों उपस्थित किया है जब कि यह घटना गत महीने के २८ तारीख को ही हुई थी? जब यह घटना २८ तारीखे को हुई और जैसी गरीबों की रक्षा होनी चाहिए थी वैसी नहीं हुई तो एक हफ्ते के अन्दर ही एक शौर्ट नोटिस सवाल के जरिये या एडजोर्नमेंट मोशन के जरिये हमारे दोस्त को इस चीज को यहां पेश करना चाहिए था और अगर वे वैसा करते तो हमलोग भी उनके कंधे से कंधा मिला कर उनका इस मामले में साथ देते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। इससे तो साबित होता है कि उन्होंने गरीबों की भलाई को ध्यान में न रख कर अपनी पार्टी को सुदृढ़ करने के लिये गरीबों को एक्सप्लाट करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि विरोधी दल के नेता ने इसके पहले एक वक्तव्य दिया है और उसके बाद हमारे रामानन्द तिवारी जी ने भी एक वक्तव्य दिया है। दोनों व्यक्तियों का बयान हमारे सामने है और गौर करने से दोनों के ब्यान

में कुछ फर्क पड़ जाता है। हमारे साथी तिवारीजी ने यह कहा है कि जिस कांग्रेस सज्जन ने उन पर हमला किया था उन पर उनका पूरा विश्वास था क्योंकि अगर उनका पूरा विश्वास नहीं रहता तो वे उनके साथ घटना स्थल पर नहीं जाते।

वह आदमी डुमरांव से आपका साथ दिया। वे साइकिल पर चले और आप टमटम पर चले। यदि उन पर आपका विश्वास नहीं था तो आपने उनको क्यों साथ लिया। उनके पीछे इस तरह का इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। दूसरी चीज जो उन्होंने कही वह यह है कि पुलिस की इनएफिसियेन्सी। आप सोचिए कि जो पुलिस वहां थी उसकी हालत क्या होती? पुलिस दो बात कर सकती थी। अगर ज्यादे से ज्यादे लोग चाहते कि वहां मीटिंग हो और दो-चार आदमी हुल्लड़बाजी के लिए होते तो पुलिस उसे रोकती। मगर बात ऐसी नहीं थी। दूसरी चीज जो पुलिस कर सकती थी वह यह है कि १४४ लगाकर मीटिंग बन्द कर देती। तीसरी चीज पुलिस यह कर सकती थी कि मजिस्ट्रेट के हुक्म से फायरिंग का आर्डर दे देती। अगर पुलिस फायरिंग कर देती तो क्या नतीजा होता। अगर पुलिस उदासीन रहती तो क्या रामानन्द तिवारी की रक्षा हो सकती थी? तो फिर आप कैसे कहते हैं कि पुलिस ने उनकी रक्षा नहीं की। अगर मजिस्ट्रेट फायरिंग का आर्डर देता तो दूसरा स्थगन प्रस्ताव आ जाता कि सरकार निकम्मी है। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि पुलिस ने जो कुछ की है वह जायज था। अगर श्री तिवारी को पुलिस नहीं बचाती तो जिस वक्त वे जीप पर बैठे हुए थे उनको लोग मार नहीं सकते थे? मालूम होता है श्री रामानन्द तिवारी की बात से कि पुलिस ने उनकी रक्षा की और भाला, बरछा वगैरह जिसकी दुहाई उन्होंने दी है उससे उन्हें बचाया। दूसरी बात उन्होंने नारे की की है कि आज जनता का राज्य है और कांग्रेस हुकुमत करती है। ऐसी हालत में कांग्रेस के लोग कैसे उस तरह के स्लोगन उठा सकते थे। यह स्लोगन जरूर ऐसे लोगों ने उठाया जो चाहते थे कि मीटिंग न हो। घटना की जो बयान की गयी है उससे साफ यह मालूम होता है कि पुलिस और औफिसर ने अपना काम सही तरीके से किया है। आखिर में मैं यह कह कर बैठ जाना चाहता हूं कि गंगौली बस्ती वाले अगर जमीन्दार की ज्यादती से तबाह हैं बर्बाद हो रहे हैं और सरकार के सामने अपनी तकलीफ के सम्बन्ध में उन्होंने दरखास्त भेजी है तो सरकार जल्द से जल्द ऐसा काम करे कि उनकी तकलीफ दूर हो जाय। यह मेरी सिफारिश है। तथा जनता को बर्बादी और तबाही से बचाने के लिये तथा जमीन्दारों के अत्याचार से मुक्त करने के लिये तो मैं अपने दोस्त कर्पूरी ठाकुर जी के कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा।

श्री रामविनोद सिंह—अध्यक्ष महोदय, हमारे भाई श्री कर्पूरी ठाकुर ने अभी बड़े

जोशखरोस के साथ चैलेन्ज के टोन में यह कहा कि हम भी भाला और बरछा चला सकते हैं। हम तो शान्तिपूर्वक काम करना चाहते हैं। भाई कर्पूरी ठाकुर को मालूम है कि उनके पार्टी के लोग किस तरीके से प्रान्त भर के गांव-गांव में फसाद करना चाहते हैं।

श्री रामचन्द्र यादव—मेरा एक नियमापत्ति है। माननीय वक्ता महोदय उस घटना

तक अपने को सीमित रखें तो अच्छा है। पार्टी पोलिटिक्स की बात या, सोशलिस्ट पार्टी के आन्दोलन की बात यहां न लावें तो अच्छा है।

अध्यक्ष—आप सिर्फ घटना के बारे में कहें।

श्री रामनारायण चौधरी—मेरा दूसरा प्वायन्ट ऑफ आर्डर है। सभा का यह नियम है कि जो सदस्य बोलना चाहते हैं वे अपनी जगह खड़े होते हैं और उनमें से अध्यक्ष एक आदमी का नाम पुकारते हैं, मगर अभी यह देखा गया कि एक सदस्य श्री राम विनोद सिंह जो खड़े नहीं हुए थे उनको पुकारा गया और इससे सभा के नियम का उल्लघंन हुआ।

अध्यक्ष—श्री रामविनोद सिंह पहले खड़ा हुए थे।

श्री रामविनोद सिंह—मैं यह कह रहा था कि आज सोशलिस्ट पार्टी जिस तरीके से चल रहा है और क्रान्ति करवाना चाहती है तो उसको स्टेट के प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है। जो आन्दोलनकारी होते हैं वे अपने बलबूते पर आन्दोलन करते हैं। अगर समाज के नक्शे को आप बनाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए तैयार होना चाहिए। श्री रामानन्द पर जो कारवाई हुई यानी इंटा पत्थर जो फेंका गया वह कोई ऐसी बात नहीं है जो पहले कभी नहीं हुई है। चुनाव के समय में एक गांव में गया था और वहां के लोग फौरन मेरे कान में सिंघा बजाकर वापस कर दिये। (हंसी) अगर जनता उनकी बात को नहीं सुनना चाहती थी और वे सुनाने के लिए जबरन कोशिश कर रहे थे तो जनता का जो नियम है उसके मुताबिक उसने काम किया। आप वहां आन्दोलन की नीयत से गए थे। लैन्डलेस लेबरर को जमीन दिलाने के लिए वहां मिटिंग करना चाहते थे। आन्दोलन करने के ख्याल से जाने से जो नतीजा होता है उसे सहने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए था। मैं आप से कहूंगा कि सोशलिस्ट पार्टी के लोग पिछड़े वर्ग के आदमी को इस तरह से गुमराह कर देते हैं जिसकी वजह से खून तक हो जाता है।

अध्यक्ष—आप इस चीज को न कहें।

श्री रामविनोद सिंह—मेरे कहने का मतलब यह है कि सोशलिस्ट पार्टी के भाई जो प्रान्त भर में आन्दोलन करना चाहते हैं वे अपने पांव पर खड़ा होकर करें और सरकार से मदद न खोजें तो समाज के लिए अच्छा होगा। अभी आपको मालूम हो जायगा कि समाज किस दृष्टि से उनको देखती है। श्री रामानन्द तिवारी पर जो कुछ बीता वह इस बात का नमूना है कि समाज उन पर किस तरह की दृष्टि रखती है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं इस स्थगन प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री राम अयोध्या प्रसाद—अध्यक्ष महोदय, एक कहावत है:

(हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम,
वे जुल्म भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता ।)

हुजूर विरोधी दल और सरकार बेन्च पर बैठने वाले दोनों ही की तरफ से दलीलें दी गई हैं। मैं समझता हूं कि सरकारी बेंच पर भी जो लोग बैठे हुए हैं उनमें सैकड़े ७५ सदस्यों के दिल में असंतोष है और काफी तकलीफ है। अभी हुजूर के सामने सरदार साहब ने जो अपनी वकालत का परिचय दिया है वह भी सबने सुना। उन्होंने कहा है कि अगर पुलिस रक्षा नहीं करती तो तिवारी जी कैसे यहां बच कर आते। हुजूर अभी तिवारी जी ने अपने बयान में कहा कि वहां मजिस्ट्रेट साहब खड़े थे और

उनके सामने जीप पर वहां के लीडर साहब थे जो महात्मा गांधी और पंडित जवाहर लाल नेहरू का नारा लगाते थे और यह कहते थे कि हमारी सरकार है, हम जो चाहेंगे करेंगे, पुलिस क्या करेगी, पुलिस तो हमारे मातहत की चीज है। इन चीजों का जिक्र सरदार साहब् ने नहीं किया। उनको कहना चाहिए था कि इस सम्बन्ध में उनलोगों पर ऐक्शन लिया गया और सजा दी गई है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। तिवारी जी ने यह भी कहा है कि स्टेशन पर उन्हें जो लेने आये थे उन्होंने कहा कि जीप नहीं आई है तो टमटम पर चलिये। उनकी नीयत आप इसी से समझ सकते हैं कि वे लेक्चर देते हुए पाये गए जिसका हवालात तिवारी जी ने दिया है लेकिन इसके बारे में सरदार साहब ने कुछ नहीं कहा है। मैं और कुछ कहना नहीं चाहता और चीफ मिनिस्टर साहब से यह पूछना चाहता हूं कि ये चीजें जो हो रही हैं इन्हें वे क्या बर्दास्त करेंगे ? मुझे विश्वास है कि वे इसे कभी पसन्द नहीं करेंगे और न उनकी ऐसी आदत है। बात यह है हुजूर कि कुछ लोग गलत रिपोर्ट दे कर उनके सेन्टिमेंट को उभार कर जिस तरफ उनको जाना चाहिए उधर से उनके दिमाग को मोड़ने की कोशिश करते हैं। मुझे विश्वास है और हम बहुत से केसेज में पुलिस के जुल्म के सम्बन्ध में उनके पास गये हैं, उन्होंने हमारी बातें सुनीं और उनकी जांच कराने के बाद सच पाया। मुझे उम्मीद है कि इस केस में भी वे जांच करायेंगे। हुजूर हमने मार खाई, हमारा चश्मा छीना गया, धूल झोंका गया और कहा जाता है कि तिवारी जी को पुलिस ने बचाया। मैं कहता हूं कि अगर उन्हें भाला लग जाता तो उनकी लाश यहां लाई जाती और तब दूसरे ही तरह का स्थगन प्रस्ताव आता। मैं माननीय मुख्य मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वे दिलचस्पी लें और कुछ मुट्ठी भर लठैतों के चलते जो शान्ति भंग होने का खतरा है उसकी तरफ विशेष ध्यान दें। हम देखते हैं कि बहुत से माननीय सदस्य इस बेंच से उस बेंच पर नक़ल लेकर बढ़ा रहे हैं, अगर यह प्रतिबंध हटा दिया जाय तो मैं समझता हूं कि बहुत से माननीय सदस्यों के दिल में आग जल रही है कि इस प्रस्ताव का वे समर्थन करें। मैं इन सारी चीजों की तरफ मुख्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द जिन लोगों का हाथ इस घटना में था उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करें नहीं तो इससे जनतंत्र को बहुत बड़ा खतरा है।

*Shri **MURLI MANOHAR PRASAD** : Sir, I have just a few observations to make with regard to the subject matter of this discussion. I do not agree with my friend who has just said that there can be no question of putting down the meeting organised by the socialist party. Socialist party is fully entitled to carry out its propaganda as any other party. Sir, what I really want to say is that the hon'ble Minister should clarify one important point which has been raised in the debate. It appears from the speech of Shri Karpuri Thakur that formally information was lodged before the Subdivisional Officer that there was apprehension of breach of peace that there was tension in the village that the landless labourers were being harassed, and that the landless labourers were going to hold a meeting to ventilate their grievances. Sir, when formal complaint was lodged before the Subdivisional Officer more than once, that there was a state of tension for which actions under section 144 would have been perfectly justified on both the parties, why did not the Subdivisional Officer rise up equal to the occasion ?—Sir, I

agree with my friend Shri Harihar Prasad Singh who pointed out that there are no Zamindars in the village. Zamindars there may or may not be but the fact remains.

"रस्सी जल गई, ऐंठन नहीं गई।"

Therefore, Sir, whenever reports of such tension come before the Government I would certainly impress upon the Government that immediate action should be taken. On the other hand Sir, it may be true that Shri Ramanand Tewary has exaggerated the story. It may not be true that the story has been exaggerated but it is parfectly true that each party that believes in propagandas must stand on its own legs. The fact remains that there is a revolution in the countryside and such occurrence may be repeated unless the officials are out to nip the trouble in the bud.

श्री रामचन्द्र यादव—अध्यक्ष महोदय, यह जो घटना तिवारी जी के साथ हुई मैं इसमें सब से बड़ा दोषी वहां के एस० डी० ओ० को समझता हूं। उनके पास पहले से खबर की गई और उनके सामने वाकाय़दा वकील रख कर कम्प्लेन किया गया लेकिन उन्होंने इसे पुलिस के इन्क्वायरी में भेज दिया और इस चीज को सीरियसली टेक अप नहीं किया। अगर वहां के एस० डी० ओ० समय पर उचित कार्रवाई करते......।

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—मैं यह जानना चाहता हूं कि किस चीज के बारे में लोगों ने कम्प्लेन किया, रामानन्द तिवारी जी के बारे में या किसी दूसरी चीज के बारे में? हमलोग यहां रामानन्द तिवारी जी के साथ जो दुर्घटना घटी उस पर बहस कर रहे हैं।

अध्यक्ष—उनका कहना है कि एप्रीहेंशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस था जिसका इन्फोर्मेशन पहले से था उस पर भी प्रीकौशन नहीं लिया गया यह उनका केस है।

"Inspite of ample information given to the local authorities and the District Magistrate, Shahabad of the apprehended breach of peace to protect Shri Ramanand Tewari".

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—रामानन्द तिवारी के प्रोटेक्शन के लिये खबर दी गई उसको मैं डिनाई करता हूं।

श्री कर्पूरी ठाकुर—अध्यक्ष महोदय, १२ तारीख को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास एक टेलिग्राम दिया गया कि ब्रीच ऑफ पीस का एप्रीहेंशन है। इसी से स्पष्ट हो जाता है कि एप्रीहेंशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस था।

अध्यक्ष—टेलिग्राम की कापी आपके पास है?

श्री कर्पूरी ठाकुर—रोज-रोज का जो हैपनिंग हुआ हर पेपर की कापी हम देने को तैयार हैं।

अध्यक्ष—१०७ का जिक्र करना रेलिभेंट नहीं है।

श्री रामचन्द्र यादव—यदि समय पर उचित कार्रवाई की गयी होती तो यह परिस्थिति नहीं होती। एक बात विचाराणीय है अध्यक्ष महोदय, तिवारी जी ने कहा है कि मीटिंग के समय में लाउड स्पीकर का कनेक्शन तोड़ दिया गया। मंत्री महोदय ने कहा कि लाउड स्पीकर उनका खराब हो गया था। लाउड स्पीकर उनका खराब हो गया था लेकिन मीटिंग के समय कुछ ही मिनटों में ठीक कर दिया गया। यह ठीक है कि वहां पर लाउड स्पीकर तोड़ दिया गया। यह घटना मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में हुई, यह उनकी उपस्थिति में घटना घटी। उनकी उपस्थिति में उनके ऊपर दुबारा हमला हुआ और धूल फेंका गया। मैं जानना चाहता हूं कि जब मजिस्ट्रेट की आखों के सामने यह घटना घटी तो मजिस्ट्रेट ने क्या कार्रवाई की ?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—क्या कार्रवाई करनी चाहिए थी जो नहीं की गयी यह आप बतावें।

श्री रामचन्द्र यादव—जो लोग शान्ति भंग करने के लिये आये थे उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। उनपर मुकदमा कायम करना चाहिये था। मैं ने समझा था कि माननीय मंत्री बतायेंगे कि घटना पर कई एक आद मियों को गिरफ्तार किया कई आदमियों पर मुकदमा चलाया लेकिन ऐसा जवाब नहीं मिला। अध्यक्ष महोदय, जो अधिकार हमें मिला है उस पर कुठाराघात है। एक माननीय सदस्य सदन के जाते हैं मीटिंग करने, अधिकारियों को सूचना दे दी जाती है और उस सूचना के बावजूद भी मजिस्ट्रेट बैठे हुए मु कुराते हैं। यह बात बहुत ही दुखद है। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह एक मेम्बर का और नागरिक के अधिकारों का अपहरण है कि वह जनता में जाय और अपने विचार को प्रगट न कर सके। अध्यक्ष महोदय, हमारे सरदार जी ने साफ शब्दों में कहा है कि आरा की बात है, आरा में तो रोज लाठी चलती रहती है। दरभंगा में भले ऐसी बात न हो। अध्यक्ष महोदय, यह इशारा करता है कि परिस्थिति क्या है। इन्हीं शब्दों के साथ में विरोधी दल के नेता के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री रामलखन सिंह यादव—अध्यक्ष महोदय, जितनी बातों की चर्चा यहां हुई है सिर्फ दो बातों का जवाब देने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। हमारे साथी श्री कर्पूरी ठाकुर ने बड़े जोरों से कहा कि हमलोग जनतंत्र की हत्या करते हैं और अपने अपोजीशन के या दूसरी पार्टी की बातों को सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती है।

श्री कर्पूरी ठाकुर—मैं ने कहा है कि जनतंत्र की दुहाई देते हैं।

श्री रामलखन सिंह यादव—आपको ऐक्टीवीटिज से, आप के वक्तव्य जो होते हैं, आपकी आन्दोलन जो होती है उस से कांग्रेस गवर्नमेंट या कांग्रेस के लोग घबड़ाते नहीं हैं। आप से बड़े-बड़े लोग जो अपने पार्टी के तरफ से आन्दोलन करने के लिए तुले हैं उनका मुकाबला जिस अहिंसा के बल पर, प्रजातंत्र को कायम किया उसी के बल पर आज भी करेंगे। वैसे लोगों का जिनका जिक्र मैं करता हूं उस सम्बन्ध में आप को पढ़ कर एक लाइन सुना देता हूं।

These objectives cannot be realised by peaceful parliamentary way. These objectives can be realised only through revolution through the overthrow of the present Indian State and its replacement by people's democratic State.

ऐसे लोगों का मुकाबला हम करते हैं।

श्री कर्पूरी ठाकुर—मैं किताब का नाम जानना चाहता हूं।

श्री रामलखन सिंह यादव—मैं इसको टेबुल पर रख देता हूं।

श्री कर्पूरी ठाकुर—यह किसकी किताब है, मैं जानना चाहता हूं।

श्री रामलखन सिंह यादव—यह कम्युनिस्टों की किताब में है। जिस गवर्नमेंट में ऐसे पार्टी को काम करने की आजादी है न सिर्फ उन्हें प्रचार का बल्कि सारे स्टेट को खत्म करने के लिये आर्म्ड रिभोल्युशन करने का तो आप लैंडलेस लेबरर के नाम पर मीटिंग करते हैं या अपना विचार प्रगट करते हैं उस से हमारी सरकार कुछ भी नहीं घबड़ाती है।

आप जिन गरीबों और लैंडलेस लेबरर की बात करते हैं और जिस विप्लव और जिस तरीके की बात करते हैं, सत्य और अहिंसा की बात करते हैं, तो यहां से गरीबी हटा देंगे तो आप एक बहुत बड़ा काम करेंगे लेकिन मैं जानता हूं कि आप जिन चीजों पर विश्वास करते हैं और आपकी पार्टी जिसपर विश्वास करती है उसके बल पर कुछ होने वाला नहीं है।

श्री त्रिवेणी कुमार—मेरा एक नियमापत्ति है। क्या इस स्थगन प्रस्ताव में किसी दल की नीति पर बहस करना जायज है?

अध्यक्ष—हां।

श्री रामलखन सिंह यादव—हमारे कर्पूरी जी ने जिस भावना को उभाड़ने की कोशिश इस सदन में की है उसका सम्बन्ध इस घटना से कुछ नहीं है। जैसा श्री नारायण जी ने कहा कि जिन चीजों का जिक्र आपने अपने भाषण में किया अगर उन्हीं चीजों को श्री तिवारी जी के ऊपर, जो कहा जाता है कि हमलें हुए, इनकी लाइफ का डेंजर था, इस पर नहीं लाते और बजट में कहते उस पर मोशन लाते लेकिन आपने ऐसा करने का साहस नहीं किया कोई कष्ट नहीं उठायो। यह सत्य है कि जिन गरीबों और पिछड़े लोगों के नाम पर आप शिकार करना चाहते हैं उसमें कोई तथ्य नहीं है। मैं फिर कर्पूरी जी से कहूंगा कि ऐसी-ऐसी चीजों में गरीबों और पिछड़े लोगों के नाम पर गलत चीज को सही करने की कोशिश न करें। जिन चीजों का आपने जिक्र किया अगर उसका विषय होता तो मैं आपके साथ मिल कर जोरदार शब्दों में आवाज उठाता और अपने प्रधान मंत्री से आग्रह करता कि अगर वास्तव में ऐसी चीजें कहीं है तो इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन आपने सारे जजबात को उभार कर पिछड़े लोगों के नाम पर गलत चीज को सदन में लाकर सही करने की कोशिश

की है। रामानन्द तिवारी जी के संबंध में जहां तक सवाल है यह सही है कि उसमें देखना इतना ही है कि उनके प्रोटेक्शन, फंडामेन्टल राइट का सवाल है और लाइफ का सवाल है उस हद तक पुलिस ने या मजिस्ट्रेट ने कहां तक इनकी जिन्दगी को बचाने की कोशिश की या मार डालने की जो कोशिश कही जाती है उसमें कहां तक मदद किया। तिवारी जी ने अपने भाषण में कहा है कि पुलिस ने घेर कर इनकी मदद की है। आपने कहा कि थाना कांग्रेस कमिटी के मंत्री जीप में खड़े होकर लोगों को समझा रहे थे।

श्री रामानन्द तिवारी—मैंने ऐसा नहीं कहा है, यह गलत बात है।

श्री रामलखन सिंह यादव—अगर फंडामेंटल राइट में यह रहता कि पुलिस की मदद से इनको मिटिंग करने की आजादी मिले तो पुलिस वह भी करती। आपने नोटिस निकाला कि ४ बजे जायेंगे। मंत्री ने लिखा कि ३ बजे मिटिंग होगी और आप पहुंचते हैं १ बजे। मुझे यह भी मालूम है कि आपके दोस्तों ने जाकर आपसे कहा कि वहां कोई आदमी आपकी सभा में नहीं जायगा इसलिए अच्छा है कि इज्जत बचाने के लिये वहां नहीं जायं। आपने कहा कि मैं खुद दरी बिछाउंगा और जनता को इकट्ठा करूंगा और चाहते हैं कि हमारे उपर लाठी चले और मिटिंग में लोग हल्ला करें ताकि इससे हमारी पार्टी को स्ट्रेंग्थ मिले। यह आपका टैकटिक्स था। आपने सोचा था कि लोग फूल-माला लेकर बैठे होंगे कि ४ बजे हमारे लिडर आवेंगे। लेकिन आप १ बजे पहुंच गये।

श्री रामानन्द तिवारी—बिल्कुल गलत बात है।

श्री राम लखन सिंह यादव—आप जितनी बातें कहते हैं वे सब सही हो जायें तो फिर हम क्या कहेंगे।

डा० श्रीकृष्ण सिंह—इस तरह से बहस होगी तो काम कैसे चलेगा ?

श्री रामलखन सिंह यादव—मैं इतना ही कहूंगा कि जिस माननीय सदस्य को इतनी हिम्मत और धैर्य नहीं है कि उनकी बातों का कोई खण्डन करे उसे सुने तो जब वे अरमान लेकर कहीं जाते हैं कि जनता उनके नाम पर जयजयकार करे और फूल की माला लेकर तैयार रहे और फिर वहां उनको कीचड़, जूता और भाला मिले तो वह आदमी कैसे वर्दाश्त करे। इसलिए मैं तिवारी जी से आग्रह करूंगा कि जब इस आन्दोलन में आये हैं और आदमी का पहले का असर रहता है, इर्ष्या, द्वेष और हिंसा की मादा उसमें जो रहती है उसको हटाने में बहुत देर लगता है। जब जनता की सेवा करने आये हैं तो आपको कहीं फूल के माला और कहीं कीचड़ और धूल मिलेगा। यदि मैं वहां होता तो वहां की जनता से कहता कि यदि मुझे बुलाते हो तो इज्जत की बात है कि पुलिस की प्रोटेक्शन में हम भाषण नहीं देंगे और आप हमारे चारों ओर बैठ कर हमारी रक्षा कीजिए ताकि गुण्डे, जमींदार हमारे उपर आक्रमण नहीं कर सकें और यदि वहां पर लोग हमारी बात नहीं सुनना चाहते तो मैं वहां से जनता को नमस्कार करके लौट आता और लौटकर इसकी चर्चा दूसरी जगह नहीं करता। मैं कर्पूरी जी से कहूंगा कि आपके लिए मुझमें बहुत आदर है और.........

अध्यक्ष—आपका समय खत्म हो गया। और इस स्थगन प्रस्ताव पर बहस करने का निर्धारित समय भी समाप्त हो गया।

कटौती का प्रस्ताव :

CUT MOTION :

पटना विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार रोकने में राज्य सरकार की असफलता।

FAILURE OF STATE GOVERNMENT TO CHECK CORRUPTION IN THE UNIVERSITY.

Shri RAMCHARITRA SINGH: Sir, the subject of the cut motion is to discuss the failure of Government to check corruption inside the University as a student of 3rd division was admitted in Science College while a student of 2nd division was not admitted. I do not know how such cut motions can be admitted. Such motions cannot be brought here and I think the Chair should not allow such cut motions. They can discuss the general policy of University.

Only basic principles of the University should be allowed to be discussed here. If it is not done, it will be very difficult for Government to do anything in the matter.

श्री दारोगा प्रसाद राय—मद्रास हाई कोर्ट का रूलिंग है कि फर्स्ट और सेकेन्ड डिवीजन को लेकर तब थर्ड डिवीजन को लेना चाहिए।

श्री भुवनेश्वर पान्डे—हमने यह कट मोशन हाउस के सामने रख दिया है। इसके रखने का मन्शा यह था कि यूनिवर्सिटी के अन्दर जो दोष हैं वे मिट जायं। मुझे उम्मीद थी कि यूनिवर्सिटी ऐसी संस्था है जिसका संचालन पवित्रता के साथ होना चाहिए। जब इस हाउस में यूनिवर्सिटी के वर्किंग के बारे में इजहार हो चुका है कि वहां भ्रष्टाचार और पक्षपात का बोलवाला है तो उसको यहां रख देना चाहिए कि भविष्य में ऐसी बात न हो। मैं आपके सामने एक खास उदाहरण रखना चाहता हूं। वहां जो पक्षपात देखा गया उसका हवाला मैं दे देना चाहता हूं। तीन लड़के थे। पहले का नाम उदय कुमार सिनहा था। उसको सेकेन्ड डिवीजन मार्क मिला था। उसका मार्क्स् ३७० था और मैथमेटिक्स के एक पेपर में ७० था और दूसरे में ४४ था। दूसरे लड़के का नाम कन्हैया सिंह था जिसका नं० ३५६ का था। मैथमेटिक्स के एक पेपर में ४६ और दूसरे में ५३ था और जो थर्ड डिवीजन का था। एक तीसरा लड़का जिसका नाम आनन्द शंकर प्रसाद था, फर्स्ट डिवीजन से ३ ही मार्क कम था उसको नहीं लिया गया और न उदय कुमार सिन्हा को ही लिया गया। उदय कुमार सिनहा ने डा० ए० एन० सिनहा को लेटर भेजा और जहां तक मुझे सूचना मिली थी, उन्होंने यूनिवर्सिटी को लिखा भी, लेकिन जिस तारीख को हमने यह कट मोशन दिया था उस दिन तक मुझे उसके बारे में और खबर नहीं मिली थी। इसलिए हमने उचित समझा कि कटमोशन दे दूं जिसमें गड़बड़ी न होने पावे। यह शिक्षण संस्था है और इसमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए। वे लड़के यहां नहीं भर्ती हो सके और आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने पर भी मजबूरन अपनी शिक्षा को जारी रखने के लिए बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में चले गये।